कार्यालय अनुविभागीय दण्डाधिकारी एंव इन्सीडेन्ट कमाण्डर सूरजपुर जिला सूरजपुर (छ.ग.)

//आदेश//

सूरजपुर दिनांक 31.07.2020

क्रमांक 1565 /वाचक/2020:: कोरोना वायरस (COVID-19) के प्रसार के रोकथाम के नियंत्रण हेतु गृह मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा जारी गाईडलाईन एवं छ.ग. शासन सामान्य प्रशासन विभाग , मंत्रालय महानदी भवन अटलनगर रायपुर के द्वारा समय -समय पर जारी दिशा निर्देश/गाईडलाईन **एंव कार्यालय कलेक्टर एंव जिला दण्डाधिकारी सूरजपुर क आदेश क्रमांक 2567/एस.डब्लयू. शाखा/2020 सूरजपुर दिनांक 29.07.2020 से प्राप्त आदेशानुसार** सूरजपुर जिले के अन्तर्गत आने वाले सभी नगरीय निकाय क्षेत्र के साथ जिले के समस्त जनपदों के मुख्यालय एंव ग्राम पंचायत शिवनंदपुर के क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाकर समस्त नगरीय निकाय क्षेत्र तथा कंटेनमेंट जोन क्षेत्र में संचालित होने वाले सभी प्रकार के दुकान को खोलने हेतु पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है। दिनांक 03.08.2020 को आम नागरिकों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए राखी एवं मिठाई की दुकान संचालन हेतु कार्या. कलेक्टर एंव जिला दण्डाधिकारी सूरजपुर के आदेश क्रमांक 2568/एस.डब्ल्यू./2020 सूरजपुर दिनांक 29.07.2020, आदेश क्रमांक 2569/एस.डब्ल्यू. /2020 सूरजपुर दिनांक 29.07.2020 एंव आदेश क्रमांक 2852 /एस. डब्ल्यू./ 2020 सूरजपुर दिनांक 31.07.2020 के द्वारा घोषित अनुविभाग सूरजपुर के अन्तर्गत आनेवाले कंटेनमेंट जोन को छोडकर सभी नगरीय **क्षेत्र/ग्रामीण** क्षेत्र में दिनांक 01.08.2020 से 03.08.2020 तक प्रातः 07:00 बजे से प्रातः 12:00 बजे तक दुकान खोलने के लिए निम्नांकित शर्तो के अधीन अनुमति दी जाती है :-

1. फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य होगा ।
2. दुकान में सेनेटाईजर/थर्मल स्क्रिनिंग, आक्सीमीटर, हैंड वास की व्यवस्था अनिवार्य रहेगा।
3. कंटेनमेंट जोन में राखी एंव मिठाई की दुकान खोलने की अनुमति नहीं होगी।
4. किसी भी दुकान पर पांच व्यक्ति से अधिक न हो।
5. दुकान पर आने वाले सभी व्यक्ति को मास्क लगाना अनिवार्य होगा।
6. इन सभी शर्तो के अतिरिक्त भारत स रकार स्वास्थ एंव परिवार कल्याण मंत्रालय के आदेश दिनांक 04.06.2020 को अन्तर्गत जारी एसओपी का पालन अनिवार्य रूप से किया जाना होगा।

(यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा तथा आदेश का उल्लघंन करते पाये जाने पर एपीडेमिक डिजीज एक्ट एंव विधि अनुकूल नियमानुसार **अन्य धाराओं के तहत् कठोर कार्यवाही की जावेगीं)**

अनुविभागीय दण्डाधिकारी
एंव इन्सीडेन्ट कमाण्डर
सूरजपुर

क्रमांक 1565 A/**वाचक/2020** **सूरजपुर दिनांक 31.07.2020**

प्रतिलिपि-

1. कलेक्टर सूरजपुर (छ.ग.) की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित ।
2. पुलिस अधीक्षक सूरजपुर (छ.ग.) की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित ।
3. सर्व तहसीलदार अनुविभाग सूरजपुर, जिला सूरजपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ एंव पालनार्थ ।
4. सर्व मुख्य कार्यपालन अधिकारी नगर पालिका/नगर पंचायत/जनपद पंचायत अनुविभाग सूरजपुर जिला सूरजपुर को सूचनार्थ एंव पालनार्थ ।
5. सहायक संचालक , जनसंपर्क अधिकारी सूरजपुर जिला सूरजपुर को सूचनार्थ ।

अनुविभागीय दण्डाधिकारी
एंव इन्सीडेन्ट कमाण्डर
सूरजपुर